निर्धारण वर्ष 2014-15 से पूर्व की अवधि के लिए धारा 2(14)(iii)(b) के प्रयोजनार्थ दूरी का मापन

परिपत्र संख्या 17/2015 [F.NO.279/MISC./140/2015-ITJ], दिनांक 6-10-2015

आयकर अधिनियम की धारा 2(14)(iii) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरपालिका या छावनी बोर्ड से इसकी निकटता के आधार पर, "कृषि भूमि" को पूंजीगत संपत्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है। नगरपालिका से उक्त भूमि की दूरी मापने की विधि ने काफी मुकदमेबाजी को जन्म दिया है। यद्यपि, वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1-4-2014 से किए गए संशोधन में हवाई तरीके से दूरी मापने का प्रावधान है, परंतु पूर्ववर्ती अवधियों के संबंध में अस्पष्टता बनी हुई है।

2. इस विषय पर न्यायिक निर्णयों के आलोक में मामले की जांच की गई है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने श्रीमती मालतीबाई आर कडू के मामले में 2013 के आईटीए 151 में दिनांक 30-3-2015 के आदेश के तहत यह माना है कि हवाई तरीके से दूरी मापने का प्रावधान करने वाला संशोधन भावी दृष्टि से अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होता है। कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से पूर्व की अवधि के लिए, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नगरपालिका सीमा और कृषि भूमि के बीच की दूरी, सड़क की न्यूनतम दूरी को ध्यान में रखते हुए मापी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है और उपरोक्त विवादित मुद्दे पर अब कोई विवाद नहीं किया गया है।

3. चूँकि यह एक सुलझा हुआ मुद्दा है, इसलिए विभाग के अधिकारियों द्वारा अब से इस आधार पर कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है और इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में पहले से दायर अपीलें, यदि कोई हों, वापस ली जा सकती हैं/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह बात सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।